SHRI SYED SHAHABUDDIN: I would like to know about the total capacity of the projected plants which will come into operation in the next two decades and that technology which is likely to be used keeping in view the projections of our own advancement in the field of nuclear technology. I would also like to know in this connection the percentage of total power generation capacity in the year 2000 A. D. or any date near about, which would be of nuclear origin. There are three inter-related question: total power generation capacity from the projected atomic power plant, the technology to be used for generation of power and in the total power picture, the contribution which the atomic power plants would be making in the year 2,000 A.D. or near about. In the end, Mr. Chairman I would just add a sentence. A creeking wheel gets the oil, a weeping child gets the milk and a shouting Member gets the question.

SHRI HAREKRUSHNA MALLICK: Who gives the answer?

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: At the turn of this century, the proposal is to produce 10,000 MW of electricity by using nuclear technology. By using different methods, it is expected that we would be producing 100,000 or 120,000 of electricity by 2,000 AD. If we calculate this, the contribution by nuclear power technology would come to about ten per cent of the total electricity produced.

The technology which is proposed to be used is the technology which uses natural uranium and heavy water and after that we can go to the faster reactor technology, if possible.

Reports of the National Police Commission

*264. SHRI LAL K. ADVANI:
SHRI JAGANNATHRAO
JOSHI†:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the dates on which each of the National Police Commission's report was submitted to Government;

(b) the number out of them which have been processed;

(c) the recommendations which have been rejected and which have been forwarded for consideration of the Cabinet and the recommendations which have already been accepted; and

(d) the progress made so far in amending the 121 year old Police Act with a view to reorienting the role, duties and powers of the Police?

गृह मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

आयोग ने आठ प्रतिवेदन प्रस्तुत किए हैं, जो इस प्रकार हैं :—

प्रतिवेदन	प्रस्तुत करने की तारीख
पहला	7 फरवरी, 1979
दूसरा	16 अगस्त, 1979
तीसरा	1 फरवरी, 1980
चौथा	19 जुन, 1980
पांचवां	26 नवम्बर, 1980
छठा	4 मार्च, 1981
सातवां	12 मई, 1981
आठवां (और अंतिम प्रतिवेदन)	31 मई, 1981

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Jagannathrao Joshi.

सभी प्रतिवेदनों की जांच की जा चुकी है और ये प्रकाशित कर दिए गए हैं।

पहले प्रतिवेदन पर जून, 1979 में हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में विचार-विमर्श किया गया था और इसको स्वीकार कर लिया गया था। सम्मेलन में हुए "निष्कर्षों" को आवश्यक कार्यवाही करने के लिए सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को भेज दिया गया था।

शेष सात प्रतिवेदनों को भी सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को विचार तथा उचित कार्यवाही के लिए भेज दिया गया था क्योंकि अधिकांश सिफारिशें उनसे संबंधित हैं। पुलिस अधिनियम में संशोधन करने सहित केन्द्रीय सरकार से संबंधित सिफारिशों की जांच का कार्य आरंभ कर दिया गया है।

श्री जगन्नाथराव जोशी : सभापति महोदय, जो सभा पटल पर वक्तव्य रखा गया है यह केवल हवाला देने वाला है। सरकार भी हवाला रैकेट में फंस गयी है और उस को कुछ समक्ष में नहीं आता, ऐसा ही लगता है। जब पहली रिपोर्ट 7 फरवरी, 1979 में आयी और आखिरी जो है वह 31 मई, 1981 में आयी और उस को आये भी दो साल हो गये। The last report was submitted on 31st May 1981 and now we are in the month of August 1983. Practically two years are over. और इतना होने के बाद भी मेरा स्पेसिफिक सवाल था इसी में कि : the recommendations that have been accepted and the recommendations which have been rejected. इस का कोई जिक्र इस में नहीं है। इसलिये जानना चाहता हूं हम स्पेसिफिक सवाल करते हैं। और उस का जवाब न आये तो फिर सभापति महोदय आप बताइये, कि इस पर हम सवाल क्या करें। यह सब इस को भेज देते हैं और यह केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है। दो साल के बाद भी केन्द्र उस पर विचार ही करता रहा तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या दूसरी रिपोर्ट के अंतर्गत यह आरक्षी दल या पुलिस वालों में राजनीतिक हस्तक्षेप या दखलदाजी जो होती है जिस की वजह से उन का मनोबल टूटता है और उनके मन में यह धारणा बढ़ती जा रही है कि कर्त्तव्य पालन और कर्त्तव्य निभाने की भावना से कुछ नहीं होगा और जो ज्यादा अधिकारियों के साथ संबंध रखेगा चाहे वह काम में कितना ही इनईफीशियेंट हो उस की बढ़ोतरी और उस को पदोन्नति होती जाएगी। यही हम यहां केन्द्र में देखते हैं। दिल्ली में किसी एक जगह आग लगी और वहां एक इंफुलेंशियल एम० पी० पहुंच गये और उस के कारण यहां के पुलिस कमिश्नर बजरंग लाल सस्पेंड हो गये। इस तरह की घटनाओं से पुलिस वालों का मनोबल टूटता है। इस दिल्ली में पहले चतुर्वेदी थे, फिर भिंडर आये और फिर बजरंगलाल आये। तो मैं जानना चाहता हूं कि रिपोर्ट में जो स्पेसिफिक बात कही गयी थी कि पुलिस क्षेत्र में जो राजनीतिक दखलदाजी, जो राजनीतिक हस्तक्षेप होता है उस के बारे में निश्चित सूचना केन्द्र सरकार दे कि केन्द्र शासन ने कम से कम केन्द्र की जो टेरीटोरी है, जहां उस का कन्ट्रोल है वहां यह हिदायत दी है कि इस तरह का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए क्या इस के लिए कुछ कदम उठाए हैं?

SHRI HANSRAJ BHARDWAJ: It all started in 1977. Everybody knows how the police was demoralised by the Janata

Government. (*Interruptions*). It is well known to everybody how the police was treated by the Janata Party. (*Interruptions*). It was all started in 1977.

डा० भाई महावीर : आप का नाम नोट हो गया है। प्रधान मंत्री जी ने देख लिया है।

SHRI HANSRAJ BHARDWAJ: It is a matter of record. (*Interruptions*). Even the courts have said it. (*Interruptions*. You know how the police was demoralised.

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : मैं इस आरोप का पुरजोर खंडन करना चाहूंगा कि पुलिस वाले के ट्रांसफर किसी असरदार एम पी की वजह से होते हैं। यह सारे ट्रांसफर नियमानुसार होते रहे हैं और इन की कई वजूहात होती हैं। इस में इस प्रकार का कोई आरोप लगाना मुनासिब नहीं है।

जहां तक इन रिपोर्टस का ताल्लुक है। पहली रिपोर्ट के प्राप्त होने के पश्चात उस पर विचार किया जा चुका है। चीफ मिनिस्टर्स कांफ्रेंस में विचार किया जा चुका है और उस में जितनी रेकमेंडेशन है उन में अधिकांश का कार्यान्वयन हो चुका है। उदाहरण के तौर पर उस में कांस्टेबिलरी का स्टेटस और पे स्केल का सवाल है। कांस्टेबलरी का स्टेटस और पे स्केल बढ़ाया गया है। और कई राज्यों ने इसको कार्यान्वित कर दिया है। एक दो राज्य है जहां यह कार्यान्वित नहीं हुआ है। जहां तक दूसरे एलाउन्सिज का सवाल है वह एलाउन्सेज करीब करीब सभी राज्य सरकारों ने बढ़ा दिये हैं। इसलिस हाउसिंग के संबंध में प्रत्येक राज्य सरकार ज्यादा से ज्यादा धन की व्यवस्था कर रही है और केन्द्र से ज्यादा सहायता इस के लिये दी जा रही है और कुछ राज्यों में हुडको से भी सहायता के लिए कर्ज लिया जा रहा है और इस का नतीजा यह है कि हाउसिंग का कार्यक्रम कई राज्यों में 75 प्रतिशत तक सेटिस्फेकशन की स्थिति में पहुच गया है। जो पुलिस एसोसिएशन बनाने के संबंध में बात है, राज्यों को सलाह दी गयी है कि वे अपनी एसोसिएशन बनाना चाहते हैं तो वे बनायें लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि उससे पुलिस फोर्स में किसी प्रकार की डिसआर्डर न हो और उन की डिसिप्लन में किसी तरह की गड़बड़ी न हो। आर्डरली सिस्टम सारे देश में खत्म कर दिया गया है। जहां तक उन की ग्रीवियेंसेज के रिड्रेसल का सवाल है इस के संबंध में रिड्रेसल मशीनरी राज्यों मे और केन्द्र में कायम कर दी गयी है।

श्री जगन्नाथ राव जोशी : सभापति महोदय, अभी जिन जिन बातों का उन्होंने जिक्र किया उन से पता चलता है कि आरक्षी दल के अंदर मांगें कितनी थीं और उन में असंतोष कितना बड़ा था। और असमाधान कितना दूभर था। पिछले तीन साल में उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में पिछले साल ही पूरे पुलिस फोर्स को स्ट्राइक करना पड़ा इसलिए कि उनकी न्यायोचित मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था और मुझे खुशी है और समाधान भी है कि मंत्री महोदय ने इस बात को स्वीकार किया है कि पुलिस वाले भले ही ट्रेड युनियन स्थापित न कर सकें लेकिन एसोशिएशन के द्वारा जो उन की न्यायोचित मांगें हैं उन के संबंध में विचार कर सकते हैं और उन को सरकार के सामने रख सकते हैं। तो कम से कम इससे सरकार यह मंत्रणा बनायें कि चाहे सेनायें हों, चाहे सशस्त्र पुलिस दल हों, ये खुले रूप से बना

करें, ऐसी स्थिति न आये, इसलिए जो एसोसिएशन की उन्होंने मांग की उस पर जब तक आप यंत्रणा नहीं करेंगे, जब तक बनायेंगे नहीं तब तक उनका असंतोष वैसा ही रहेगा। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि जो आपका इस पर विचार चल रहा है वह विचार कब तक पूरा होगा? विचार शुरू हुआ है तो मैं चाहता हूं कि कम से कम मसलों को लेकर आरक्षी दलों में असन्तोष है उनको हम ठीक ढंग से हल करें ताकि सरकार की तरफ से वह आश्वस्त रहें वरना ऐफिशिएंसी कभी नहीं आ सकेगी।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी: सभापति महोदय, उस रिपोर्ट में जो भी सुझाव दिए गए हैं, उन पर केन्द्र सरकार को जितना करना चाहिये था, जैसे आर्म्स ऐक्ट अमेंडमेंट करना, सी-आर० पी० सी० का का अमेंडमेंट करना, वह अधिकांशत: किया जा चुका है या किया जा रहा है। लेकिन इस पर राज्य सरकारों को अधिक अमलीकरण करना है। इसलिए सारी रिपोर्टें उनके पास भेज दी गई हैं ताकि राज्य सरकारें उन पर अमल कर सकें और इस सम्बन्ध में समय समय पर मेरी तरफ से और गृह मंत्रालय की तरफ से पत्र भी लिखा गया है। अक्टूबर 18, 1982 जो पहला पत्र मैंने लिखा था और था और 1983 में फिर चीफ मिनिस्टरों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया था कि वह पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक जिन चीजों को कार्यान्वित करना चाहते हैं, उनके सम्बन्ध में शीघ्रता करें।

SHRI P. N. SUKUL: I would like to know from the hon. Minister what are the major demands of the Delhi Police personnel which are still outstanding and whether these demands include any such demand assurance for the fulfilment of which was given by the former Home Minister, Giani Zail Singh, and which has not yet been fulfilled.

SHRI P. C. SETHI: Sir, we have had meetings with the Delhi Police people and their demands are under consideration in the Committee which we have appointed and I am sure that they are fully satisfied with the meetings which they have had with us and we would certainly consider whatever reasonable is possible within the financial constraints.

DR. BHAI MAHAVIR: That was not the question.

SHRI B. IBRAHIM: The hon. Minister has already answered one question which I wanted to ask. Anyway I will put it in another way.

MR. CHAIRMAN: Then why not sit down?

SHRI B. IBRAHIM: I want to ask one thing more. I would like to ask the hon. Minister regarding the formation of the Policemen's Association. In this connection, I would like to know from the hon. Home Minister whether they have been given the right to strike in this matter.

SHRI P. C. SETHI: No, Sir. I have already said that the associations can be formed in order to put forth their grievances, whether they are individual grievances or collective grievances. But, as far as the right to strike is concerned, in the very first part of my reply I have answered that it should not in any way loosen the discipline; and, therefore, there is no right to strike.

SHRI SUKOMAL SEN: Sir, I would like to draw the attention of the hon. Minister to the last part of the statemen where he has said, "Action on some recommendations concerning 'Police and weaker sections of the society', 'Communal riots', 'Arms Act' 'Amendments to the Cr. P. C.', has been taken." But I find that when atrocities take place on the Harijans and the weaker sections, the police takes sides with the landlords and they also commit atrocities on the Harijans and the weaker sections. During communal riots sometimes the police plays a very partisan role. During the last riots in Meerut, serious allegations were made against the PAC for their partisan role. I would like to know

what action has been taken to see that the police does not commit atrocities on the weaker sections on behalf of the landlords or the police does not play a partisan role during communal riots. I would like to know what steps have been taken to revitalise the police forces in this respect.

SHRI P. C. SETHI: Sir, as far as the police force is concerned, the Central Police Force now comprises CRPF and BSF. Already there were a number of minority people there. Now instructions have been issued that in the creation of new battalions adequate representations should be given to all concerned so that every shade is reflected there. Similarly, we have written to the State Governments with regard to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes saying that the police personnel should not take sides with the land-owners and should protect the weaker sections of society. So far as the role of the Armed Constabulary in U.P. is concerned, we have requested the U.P. Government to have reorientation of the training course and, at the same time, to see that PAC is also reflecting various shades of castes and communities.

श्री शिव चन्द्र झा : पुलिस संगठन में बुनियादी परिवर्तन हो क्या आप इस पर विचार कर रहे हैं ? इंसपेक्टर, आई० जी० की पोस्ट या पुलिस कमिश्नर की पोस्ट इलेक्टिड हो, जनता द्वारा चुने जायें, क्या आप इस बात पर विचार कर रहे हैं ? दुनियां में यह होता है, कैलिफोर्निया में पुलिस में ऐसा होता है । स्टेट्स में उनके यहां इन पोस्टों पर जनता द्वारा चुना हुआ व्यक्ति रखा जाता है । आप इसको डैमोक्रेटाइज करने के लिए क्या यह कदम उठायेंगे । जो आई० जी० पुलिस राज्य का हो जब वह जनता द्वारा चुना जाएगा तब ही जाकर डैमोक्रेटाइजेशन होगा, तभी बुनियादी परिवर्तन होगा ।

श्री पी० सी० सेठी : माननीय सदस्य का यह सुझाव एक दम नामंजूर है ।

श्री रामेश्वर सिंह : मंत्री जी ने बहुत लम्बी चौड़ी बातें की हैं यह भी कहा है कि हमने उनको बहुत सी आवश्यकताओं की पूर्ति की है और हमने इसके लिए स्टेट्स गवर्नमेंट को भी लिखा है । मैं यह जानना चाहता हूं, कि मंत्री जी यह बतायें कि पिछले दो सालों में 1980 से लेकर अब तक पुलिस में कहां-कहां पर जन-विद्रोह हुआ, पुलिस के लोगों ने कहां-कहां जन-आक्रोश व्यक्त किया और उनकी क्या-क्या मांगें थीं ? क्या सरकार को पता है कि पुलिस में जो भर्ती हो रही है उसमें जातिगत आधार पर भर्ती हो रही है ? जातिगत आधार पर पुलिस में भर्ती हो रही है, क्या आप इसकी जांच करायेंगे ? 1980 से लेकर अब तक पुलिस में जितनी भर्तियां हुई उनमें शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को कितना स्थान मिला उसमें अन्य अल्प संख्यकों के लोगों को कितना स्थान मिला, उसमें ब्राह्मण को कितना स्थान मिला, राजपूत को कितना स्थान मिला ? (**व्यवधान**) यह सरकार इसके लिए कोई जांच करायेगी ? स्पेसिफिक मैं बता सकता हूं, मेरी जानकारी में है, आप अगर कहेंगे तो मैं एक-एक जगह की लिस्ट कल आपके सामने पेश कर दूंगा . . .

श्री सभापति : ठीक है । आप यह जानना चाहते हैं कि इसकी जांच करायेंगे या नहीं ।

श्री पी० सी० सेठी : पैरा-मिलिटरी फोर्स और पुलिस फोर्स में जो भर्ती होती है वह जातिगत आधार पर नहीं की जाती है । जो हमने हिदायत जारी की है उसमें यह जरूर कहा है कि जो डिफरेंट स्टेट्स का कम्युनिटीज हैं उनका रिप्रेजेन्टेशन इससे हो । कितने ब्राह्मण हों, कितने राजपूत हों, कितने जाट हों इसके आधार पर भर्ती नहीं की जाती है ।

श्री रामेश्वर सिंह : ऐसा हो रहा है जहां पर राजपूत अफसर होता है वहां पर 80 प्रतिशत राजपूत भर्ती किए जाते

है और जहा पर ब्राह्मण अफसर होता है वहां पर 90 प्रतिशत ब्राह्मण भर्ती किये जाते हैं। अगर यह ठीक नहीं है तो जो भी दण्ड आप मुझे देंगे मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। क्या आप इसकी जांच करेंगे ? . . . (**व्यवधान**)

श्री जगदीश प्रसाद माथुर: एक सरकुलर प्राइम मिनिस्टर की तरफ से गया है कि स्टेटस में कम्यूनल आधार पर भर्ती की जाये, क्या इसकी जानकारी उनको है ? कि 45 मुस्लिम एम०पीज० . . . (**व्यवधान**)

MR. CHAIRMAN: MR. MATHUR, Please sit down. My instructions must be followed. When I am standing, nothing should be recorded.

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR:*

MR. CHAIRMAN: Why do you butt-in? Nothing will be recorded. You may shout as much as you like. Nothing is to be recorded when I am standing. Yes, go on. Nothing is being recorded while I am standing. I am telling the House again and again not to butt in in the middle like this.

A question has been asked by Mr. Rameshwar Singh. He can take care of himself.

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी: सभापति महोदय, माननीय सदस्य को यह सूचना ठीक नहीं है कि जातिगत आधार पर भर्ती की जाती है। भर्ती के लिए सलेक्शन बोर्डस होते हैं और सलेक्शन बोर्डस एक ही जाति के आदमी नहीं होते हैं।

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

---

*Not recorded.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Voluntary organisations receiving aid from the U.S.A.

*261. SHRI V. C. KESAVA RAO: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the total number of voluntary organisations receiving aid from the U.S.A.;

(b) what is the amount received by them during the last two years; and

(c) whether these organisations are submitting accounts for the same to Government?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI P. C. SETHI): (a) to (c) There are about 4,000 associations having a definite cultural, economic, educational, religious or social programme, which are receiving foreign contributions from various countries, including U.S.A. Information regarding the amount of foreign contribution received by them during the last two years has not yet been compiled. The recipient associations are required to send an account of such contributions received and utilised, duly certified by a chartered accountant, to the Government on calendar year basis.

Amount allocated to Orissa for the welfare of Scheduled Castes Scheduled Tribes

*265. SHRI DHANESHWAR MAJHI: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the amount allocated to Orissa in 1982-83 for implementing the various Scheduled Castes|Scheduled Tribes Welfare. Programmes;

(b) whether the funds allocated in the above programme have entirely been spent; and

(c) if so, what are the details thereof?